

### 8. सुरक्षा

पत्तन क्षेत्र में सुरक्षा की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। हमें सुरक्षा बढ़ानी चाहिए और मुख्य द्वार पर एक अच्छी चौकी जरूर हो ताकि माल की चोरी न हो।

### 9. कार्यालय आवास

नौवहन कंपनियों के लिए कार्यालय आवास निकासी एजेंटों इत्यादि और टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।

### 10. तेल का आयात

इस समय, तेल का आयात कांडला पत्तन से किया जा रहा है, जो इस पत्तन को सौंप देना चाहिए।

### 11. पारगमन गोदाम

पारगमन माल का भंडारण करने के लिए बड़े-बड़े गोदामों का निर्माण किया जाये।

### 12. तेल के लिए भंडार टंक,

आयातित तेल के भंडारण की सुविधा अत्यंत आवश्यक प्रदान की जाए।

### 13. बस सेवा

नया पत्तन शहर से काफी दूर है। इसलिए नगर बस सेवा अत्यंत आवश्यक है। कृपया व्यापार और उद्योग के लाभ के लिए उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए तुरन्त समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

(ग) बड़े पत्तनों में न केवल अन्य पत्तनों के विकास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। ज्ञापन समुचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। जहाजों को एक पत्तन से दूसरे पत्तन में भेजना जहाज के आकार पत्तन पर माल चढ़ाने उतारने के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा इसकी स्वदेशी निकासी इत्यादि पर निर्भर करता है।

### Ferry Services over River Hooghly

520. SHRI S. K. GHOSAL: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there are any schemes for launching ferry services over River Hooghly in Calcutta to augment the present modes of transport in the city;

(b) whether Government have received any suggestion in this regard from Government of West Bengal; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM): (a) and (b). The Centrally Sponsored Scheme of the Government of West Bengal for running of ferry on the river Hooghly was sanctioned in 1974. The State Government has asked for sanction for revised estimate for the Scheme.

(c) The Scheme envisages construction of a fixed jetty at Howrah side, a floating jetty at Calcutta side and acquisition of suitable passenger vessels.

### Law for Declaration of Assets by Public Servants

521. SHRI F. P. GAEKWAD: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government contemplate enacting a law for the declaration of assets by public servants;

(b) if so whether Government would bring necessary legislation during the current session; and

(c) if not, reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): (a) No, Sir. There is no such proposal under consideration.